क्रमांक: 16/21/88–6 जी.एस.–II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. आयुक्त अम्बाला एवं हिसार मण्डल ।
3. सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) ।
4. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक: 3-11-88

विषय :—सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 16/21/84–3 जी.एस.–II दिनांक 9-9-85 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के पास कई मामले ऐसे प्राप्त होते रहे हैं जहां मृतक का परिवार एक लम्बे अरसे के बाद नौकरी तथा अन्य सुविधायें देने बारे अनुरोध करता है । इस मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उन मामलों में नौकरी तथा वित्तीय सहायता देने बारे विचार नहीं किया जायेगा जहां मृतक के परिवार से उसकी मृत्यु के तीन वर्ष के अन्दर-2 ऐसी प्रार्थना प्राप्त नहीं होगी । जिन मामलों में संबंधित व्यक्ति, जिसे कि नौकरी की सुविधा दी जानी है, अभी नाबालिग है, उसके बारे में प्रार्थना भी कर्मचारी की मृत्यु के तीन वर्ष के अन्दर-2 सरकार को विचार/निर्णय हेतु पहुंच जानी चाहिये । यह निर्णय इस पत्र की जारी की तिथि से लागू होगा व जो मामले पहले प्राप्त हो चुके हैं उन पर वर्तमान हिदायतों अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में केवल उन्हीं केसों में मृतकों के परिवार के सदस्यों को श्रेणी–II के पदों बारे लगाने बारे विचार किया जायेगा जहां संबंधित व्यक्ति के पास तकनीकी योग्यतायें जैसे कि एम0 बी0 बी0 एस0, बी0 ई0, बी0 टैक, बी0 बी0 एस0 सी0 इत्यादि हों और उसे श्रेणी–II के पद या उसके ऊपर के पदों पर ही लगाया जा सकता हो । बाकी मामलों में राजपत्रित पदों पर लगाने बारे विचार न किया जाये और प्रार्थी की योग्यता को देखते हुये केवल श्रेणी–III व 4 के पदों पर लगाने बारे प्रस्ताव सरकार को भेजा जाये ।

4. कृपया इन आदेशों की कड़ी पालना की जाये व इस पत्र की पावती भी सरकार को भेजी जाये ।

हस्ता/—
उप सचिव प्रोटोकोल,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।